Website : www.alldstateuniversity.org
E-mail ID- registrarasua@gmail.com

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
Allahabad State University, Allahabad

पत्रांक: इ0रा0वि0वि0 / सम्बद्धता / 121 / 2018 दिनांकः 05 / 07 / 2018

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दि0 30.05.2018 के अनुपालन में **पं0 रमाकान्त शुक्ल महाविद्यालय, शुकुलपुर,** गिर्दकोट, **वि0ख0 धनूपुर, हण्डिया, इलाहाबाद, उ0प्र0** को निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र **संख्या–इ0रा0वि0वि0 / सम्बद्धता /** 183 / 2018 दिनांक 30.05.2018 में इंगित कमियों की पूर्ति के उपरान्त महाविद्यालय को **स्नातक स्तर पर कला संकाय** अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र एवं संस्कृत विषयों में 420 सीट्स पर (60 सीट्स प्रति विषय के अनुसार) **बी0ए0 पाठ्यक्रम,** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2018–19 से** सम्बद्धता प्रदान किया जाता है:--

1. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेंगी।
2. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा नें उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
6. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(65C) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
7. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16 (20) / 2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

डॉ0 (विनीता यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रबन्धक प0 रमाकान्त शुक्ल महाविद्यालय
   शुकुलपुर, गिर्दकोट, वि0ख0 धनूपुर, हण्डिया, इलाहाबाद, उ0प्र0।
4. परीक्षा नियंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

कुलसचिव

Website : www.prsuinv.ac.in

E-mail ID- registrar@prsuniv.ac.in

कार्यालय कुलसचिव
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

पत्रांक संख्या– पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 1771 / 2022

दिनांक–27/06/2022

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति महोदय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 27.06.2022 के अनुपालन में **पं0 रमाकान्त शुक्ल महाविद्यालय, शुकुलपुर, धनूपुर**, हण्डिया, प्रयागराज, उ0प्र0 को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 1620 / 2021 दिनांक 01.10.2021 में इंगित कमियों की पूर्ति के उपरांत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में बी0एससी0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2022–23 से **सम्बद्धता प्रदान** की जाती है।

2. सम्बद्धता की अनिवार्य विशिष्ट शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा आपके कालेज लॉगिन पर में भी भेजी जा रही है। कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

सहायक कुलसचिव
कृते कुल सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. **प्रबन्धक / प्राचार्य, पं0 रमाकान्त शुक्ल महाविद्यालय, शुकुलपुर**, धनूपुर, **हण्डिया**, प्रयागराज, उ0प्र0।
4. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. कुल सचिव कार्यालय।
6. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
7. सहायक कुल सचिव (सम्बद्धता)।
8. कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

सहायक कुलसचिव
कृते कुल सचिव।